Witness No **01** for **बचाव साक्षी** Deposition taken

the **04.10.2019** day of Witness's apparent age **58 वर्ष**

States on affirmation **शपथ पूर्वक** my name is **प्रतिमा श्रीवास्तव**

wife of **स्व. अरूण कुमार** occupation **स0उ0नि0**

address **महिला थाना रायपुर, छ0ग0**

मुख्यपरीक्षण द्वारा श्री अमित बाजपेयी अधि. वास्ते आरोपी रोशन, पूनम, शैलेन्द्री

01. वर्ष 2014–15 में मै सहायक उपनिरीक्षक के पद पर महिला थाना रायपुर में पदस्थ थी।

02. आज आरोपी रोशनलाल पैकरा द्वारा अपनी पत्नी के साथ काउंसलिंग हेतु महिला थाना में दिनांक 25.10.2015 को दिये गये आवेदन एवं उक्त आवेदन के आधार पर आरोपी एवं उसकी पत्नी के बीच दिनांक 18.11.2015 को काउंसलिंग हेतु नियत थी किन्तु उक्त तिथि को आरोपी की पत्नी पूनम उर्फ पुर्वी पैकरा उपस्थित नहीं हुई, जिसके कारण काउंसलिंग नहीं हो पाई और दिनांक 19.12.2015 की तिथि दी गई थी, जिसमें भी आरोपी की पत्नी उपस्थित नहीं हुई, जिस पर दिनांक 18.01.2016 की तिथि नियत की गई जिसमें आरोपी एवं उसकी पत्नी दोनों उपस्थित नहीं हुए तब आवेदन नस्तीबद्ध कर दिया गया।

03. आरोपी के आवेदन के आधार पर हुए काउंसलिंग के बाद उसकी पत्नी श्रीमती पूनम उर्फ पूर्वी द्वारा दिनांक 11.08.2016 को दिये गये आवेदन एवं उक्त आवेदन के आधार पर प्रार्थिया एवं उसके पति के बीच पुनः काउंसलिंग दिनांक 31.08.2016 को महिला थाना द्वारा करवाया गया। प्रार्थिया एवं आरोपी के बीच दिनांक 14.09.2016 एवं 21.09.2016 को काउंसलिंग हुई। इस काउंसलिंग में प्रार्थिया ने अपना स्त्रीधन दिनांक 21.09.2016 को आरोपी से प्राप्त कर ली थी। उसी आधार पर उसका आवेदन निराकृत हुआ था।

04. आरोपी द्वारा दिये गये आवेदन प्रडी–8, काउंसलिंग रजिस्टर प्रडी–9 एवं प्रार्थिया के आवेदन के आधार पर हुए काउंसलिंग का रजिस्टर प्रडी–10 एवं उसकी प्रति क्रमशः प्रडी–8सी, प्रडी–9सी एवं प्रडी–10सी है।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री मनोज वर्मा अतिरिक्त लोक अभियोजक वास्ते अभियोजन</u>

05. यह कहना सहीं है कि आरोपी द्वारा दिये गये आवेदन प्रडी–8 में जांच कार्यवाही हेतु निवेदन नहीं किया गया है। मै नहीं बता सकती कि आरोपी द्वारा झुठे केस में फंसाने की धमकी अपनी पत्नी द्वारा दिये जाने बाबत् आवेदन के तथ्य को झुठा होने के कारण आवेदक ने जांच का निवेदन नहीं किया था। यह कहना सहीं है कि आवेदक अपने आवेदन पर दी गई तिसरी तिथि में उपस्थित नहीं हुआ था। स्वतः कही कि दोनों पक्ष उपस्थित नहीं हुए थे।

टीप :– प्रडी–8, प्रडी–9 प्रडी–10 की मूल दस्तावेजों का मिलान पश्चात् मूल दस्तावेज साक्षी को वापस प्रदान किया गया।

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया, सही होना स्वीकार किया।	मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।
सही / –	**सही / –**
राजेन्द्र कुमार वर्मा अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रायपुर (छ0ग0)	राजेन्द्र कुमार वर्मा अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रायपुर (छ0ग0)

साक्षी का हस्ताक्षर ....**सही / –**..........................